न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 33/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2018/00151

उनवान

1. शंकर पुत्र मंगला
2. सुभाष पुत्र स्व0 धर्म सिंह
3. दयाराम पुत्रान कन्हैया
4. माखन
5. नृपति पुत्र जौहरी

जाति कुशवाह नि0 नगला भोला तजरा सिर्रोद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बालकिशन पुत्र लौहरे
2. चन्द्रपाल पुत्र दाताराम

जाति कुशवाह निवासी नगला भोला मजरा सिर्रोद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 14.03.2016 प्रकरण संख्या 121/2014 उनवानी बालकिशन बनाम धर्म सिंह।

अभिभाषकगण :—

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 14.03.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1000 रकवा 13 बीघा 15 विस्वा वाके ग्राम सिर्रोद तहसील रूपवास में स्थित है। विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार श्री धर्म सिंह ने उक्त विवादित आराजीयात में से 1/9 हिस्सा अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर दिया है तभी से वादी/रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। परन्तु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बिना किसी अधिकार के वादी/रैस्पो0 को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। यदि प्रतिवादी/अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी/अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस रैस्पो0, बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में अस्थायी निषेधाज्ञा से अपीलाण्ट को पाबन्द करने का कोई आधार एवं कारण अपीलाधीन निर्णय में नहीं लिखा है केवल मनन करने का आधार बताकर आदेश पारित कर दिया है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के मूल बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति पर ना तो विचारण किया है और ना ही तय किये हैं। अतः अपीलाधीन आदेश एक मूक आदेश है जो न्यायियक आदेश की तारीफ में नहीं आता है। रैस्पो0 विवादित आराजी का 1/9 हिस्सा क्रय करना बताते हैं परन्तु कौनसा हिस्सा क्रय किया है, स्पष्ट नहीं है। वैसे भी विवादित भूमि सभी हिस्सेदारो की शामिल काश्त व खातेदारी की भूमि है व किसी भी हिस्सेदार को किसी विशेष हिस्से को वय करने का कोई अधिकार नहीं है। सहखातेदारी की भूमि पर बिना विभाजन कब्जा लेने का अधिकार नहीं है और ना ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकार है। रैस्पो0 का विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि रैस्पो0 का विवादित आराजी में कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं किसी भी हिस्सेदार को किसी विशेष हिस्से को वय करने का कोई अधिकार नहीं है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 103 में रैस्पो0 बालकिशन व चन्द्रपाल, धर्म सिंह के 1/9 हिस्से के स्थान पर अन्य खातेदारो के साथ नामान्तकरण संख्या 1482 से विवादित आराजी में सहखातेदार दर्ज हो चुके हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी में रैस्पो0 का कब्जा काश्त ना होना कथन करते हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी में रैस्पो0 का सहखातेदार होना सिद्ध है एवं विधि अनुसार प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का संयुक्त खातेदारी की समस्त आराजी पर, उसके इंच–इंच पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा माना जाता है एवं एक सहकृषक का कब्जा सभी सहकृषकों का कब्जा माने जाने की मान्यता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण रैस्पो0 के हक में विचारणीय है एवं दौराने वाद, विवादित भूमि खुर्द–बुर्द ना हो अतः सुविधा संतुलन भी रैस्पो0 के हक में सिद्ध होती है। दौराने वाद, विवादित भूमि का हस्तान्तरण होने पर, वाद जटिलता व बहुलता के कारण अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः दौराने वादकरण, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए, स्थगन न्यायोचित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official